

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4()संशो/अधि/विधि/पंरा/2014/535

दिनांक: 18.6.2019

ज़िला कलेक्टर एवं
ज़िला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त, राजस्थान ।

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु शैक्षणिक
योग्यता का प्रावधान हटाये जाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 22 फरवरी, 2019 को अधिसूचित राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों से संबंधित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19 के खण्ड (द), (ध), (न) और स्पष्टीकरण-III को हटाया जा चुका है ।

उक्त अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।
संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

(मोहम्मद अबूबक)

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि:- एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु ।

अति० प्रशासनिक अधिकारी



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 3, शुक्रवार, शाके 1940-फरवरी 22, 2019
Phalguna 3, Friday, Saka 1940- February 22, 2019

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 22, 2019

संख्या प.2(2)विधि/2/2019:- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 4)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.-** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), की धारा 19 में,-

(i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान खण्ड (द), (ध), (न) और स्पष्टीकरण-III हटाये जायेंगे।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 22, 2019

No. F. 2(2)Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language of Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)

ACT, 2019

(Act No. 4 of 2019)

[Received the assent of the Governor on the 22nd day of February, 2019]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

- (i) in clause (q), for the existing punctuation mark “;” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) existing clauses (r), (s), (t) and Explanation-III shall be deleted.

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.